(c) whether the procurement was done through a composite bid or through a Two-part bid; and

(d) in case it was through a Two-part bid, the mode of selecting the bidder?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM NAIK): (a) Yes Sir,

(b) The Approximate value of the tender can not be ascertained at this stage as only technical bids have been opened and are under evaluation.

(c) It was a two part bid in two different covers namely technical and commercial.

(d) Based on the technical suitability, commercial offers will be opened and the selection will be made from the bidders whose offer is considered the most techno-economic acceptable.

यात्री गाड़ियों के साथ जुड़े साधारण डिब्बे

1921. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंबई वीटी से चलने वाली 5/6 पंजाब मेल तथा पुणे से चलने वाली 177/178 झेलम एक्सप्रेस यात्री गाड़ियों में कितने साधारण डिब्बे जोड़े जाते हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन डिब्बों में सीटों के उपलब्ध न होने के कारण क्या हजारों यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और यदि वे इन गाड़ियों से यात्रा करते हैं तो उन्हें मजबूर होकर शयनयान में यात्रा करनी पड़ती है जिनमें चल टिकट निरीक्षक द्वारा उनसे अतिरिक्त प्रभार वसूले जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो साधारण डिब्बों की कमी को दूर करने के लिए ऐसे कितने डिब्बे जोड़ने पर विचार किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) 2137/2138 पंजाब मेल में 4 सामान्य सवारी डिब्बे (2 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सामान एवं द्वितीय श्रेणी) और 1077/1078 झेलम एक्सप्रेस में 5 सामान्य सवारी डिब्बे (3 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सामान एवं द्वितीय श्रेणी) हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित डिब्बों में यात्रियों के प्रवेश के संबंध में नीति

1922. **श्री राघवजी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय श्रेणी शयनयान में दिन के समय भी पुष्ट आरक्षण टिकट धारक यात्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी यात्री को प्रवेश न देने की नीति में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन किया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि द्वितीय श्रेणी शयनयान के टिकट केवल तभी दिए जाते हैं जब रेलवे स्टेशन पर आरक्षण हेतु बर्थ उपलब्ध हो, अन्यथा नहीं, यदि हां, तो इसके पीछे तर्काधार क्या है; और

(घ) क्या प्रत्येक गाड़ी में और अनारक्षित डिब्बे बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) स्लीपर श्रेणी जो द्वितीय श्रेणी से उच्चतर है, पूर्णतः आरक्षित श्रेणी है जो लंबी दूरियों के यात्रियों को आरामदायक यात्रा मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। अतः द्वितीय श्रेणी टिकट धारक को स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

(ग) स्लीपर श्रेणी के लिए टिकट पुष्टिशुदा/आर०ए०सी०/प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों के लिए अग्रिम रूप से जारी किए जाते हैं। स्टेशन पर करेंट खिड़कियों पर चार्ट तैयार करने के बाद खाली शायिकाओं की सीमा तक टिकट जारी किए जाते हैं ताकि अधिक भीड़-भाड़ न हो।

(घ) सवारी डिब्बों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए कुछ गाड़ियों में सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बे लगाने की योजना बनाई गई है।

Conversion of Miyagam-Karjan-Dabhoi-Samlayar Railway Line into Broad Gauge

1923. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Miyagam-Karjan-Dabhoi-Samlayar narrow-gauge railway line was